सुजोय सेन उर्फ सुजोय के.आर. सेन

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

8 मई 2007

(एस. बी. सिन्हा एवं मार्कंडेय काटजू, जे.जे.)

भारतीय दण्ड संहिता 1860; धारा 302:

आरोपी ने कथित तौर पर प्रथम सूचनाकर्ता की बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी- प्रथम सूचना रिपोर्ट- सी. आई. डी. द्वारा जांच की गई- आरोप पत्र- विचारण न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सजा सुनाई- उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई- अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है- ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की एक श्रृंखला साबित करनी होती है जो अपरिहार्य रूप से अभियुक्त को अपराध से जोड़ती है- मामले में श्रृंखालाओं का संबंध टूटने पर, पूरा अभियोजन मामला सन्देहप्रद हो जाता है- प्राथमिकी में मृतका के पिता/सूचनाकर्ता ने कहा कि अभियुक्त उसकी अनुपस्थिति में उसके घर में घुसा था- हालांकि, विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य में उसने कहा है कि जब वह घर में प्रवेश कर रहा था तो अभियुक्त उसके घर से बाहर निकल रहा था- मृतका के पड़ोसी, पी.डब्लू. 4 के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसने आरोपी को घर में प्रवेश करते देखा था क्योंकि उसने सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के तहत पुलिस को दर्ज किए गए अपने बयान में यह तथ्य नहीं बताया है- इस प्रकार प्रथम सूचनाकर्ता ने आरोपी को अपने घर से बाहर निकलते नहीं देखा जब वह घर में प्रवेश कर रहा था और उसके बयान का अगला संस्करण एक सुधार है- परिस्थितियों की शृंखला में एक महत्वपूर्ण

कड़ी गायब है- अभियोजन पक्ष अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा- इन परिस्थितियों में, अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है- सी.आर.पी.सी., 1973 की धारा 161- साक्ष्य- परिस्थितिजन्य साक्ष्य।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के लगभग 11.30 बजे, जब मृतका, जो प्रथम सूचनाकर्ता की इकलौती बेटी है, अपने घर में अकेली थी, तो अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसका गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। सूचनाकर्ता, मृतका के पिता जब जल्दी अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी एक कमरे के फर्श पर पड़ी है, उन्हें स्थिति पर संदेह हुआ और शोर मचाया। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी और जाँच के बाद अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत सी. आई. डी. द्वारा आरोप पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध का दोषी ठहराया और तदनुसार सजा सुनाई। व्यथित होकर आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई है।

अपील को अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1.1 यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है जिसका सुस्थापित नियम यह है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को उन परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करनी होगी जो अनिवार्य रूप से अभियुक्त को अपराध से जोड़ती हैं। अगर एक भी कड़ी टूट जाती है, तो भी पूरा अभियोजन मामला विफल हो जाता है। (पैरा 7) (115-सी-डी)

1.2 एफआईआर में, प्रथम सूचनाकर्ता ने कहा कि आरोपी उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके घर में घुस गया। इस प्रकार, एफआईआर संस्करण के अनुसार, प्रथम सूचनाकर्ता ने आरोपी को अपने घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा जब वह उसमें प्रवेश कर रहा था। इसके बाद ही विचारण न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में उसने कहा कि प्रथम सूचनाकर्ता जब घर में प्रवेश कर रहा था तब अभियुक्त उसके घर से निकाल रहा था। [पैरा 8) (115-डी-एफ)

1.3 पड़ोसी पीडब्ल्यू 4 ने अपनी साक्ष्य में कहा कि उसने आरोपी को दोपहर 12 बजे अभियोगी के घर में प्रवेश करते हुए देखा था। परन्तु उसके बाद उसने पुलिस के सामने यह नहीं बताया था कि उसने अभियुक्त को उक्त घर में प्रवेश करते देखा था। इस प्रकार पीडब्ल्यू 4 का यह कथन कि उसने अभियुक्त को मृतक के पिता प्रथम सूचनाकर्ता के घर में प्रवेश करते देखा था, ऐसा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसने सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के तहत पुलिस को दिए गए अपने बयान में यह तथ्य नहीं बताया था। इसी तरह पीडब्ल्यू 7 ने अपने बयान में कहा कि उसने अभियुक्त को घटना के समय पर प्रथम सूचनाकर्ता के घर की सीढ़ियों से नीचे आते देखा और उसने अभियुक्त को यह कहते सुना, "सुजॉय की कोरली"। यद्यपि उक्त गवाह ने उसके पश्चातवर्ती बयान में, कहा कि उसने पुलिस के सामने यह नहीं कहा था कि पीडब्ल्यू 4 ने उसे बताया कि उसने अभियुक्त को प्रथम सूचनाकर्ता के घर में प्रवेश करते देखा था। (पैरा 9 और 10) (115-एफ-एच; 116-ए-बी)

1.4 ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को केवल गम्भीर सन्देह के आधार पर प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा संलिप्त किया गया है एवं साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ है कि अभियुक्त जो कि एक युवक है एवं प्रथम सूचनाकर्ता की बेटी से मिलने जाता था और प्रथम सूचनाकर्ता एवं पडोसियों द्वारा इसका विरोध किया गया था एवं प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा अभियुक्त को उसकी बेटी से मिलने से मना किया गया था। इसलिए

यह संभव है कि सन्देह के आधार पर प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा अपीलार्थी को फंसाया गया हो। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए कथनों से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा जब मृतका के घर प्रवेश किया गया तो उसने अभियुक्त को नहीं देखा। यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचनाकर्ता ने अभियुक्त को घर से निकलते हुए नहीं देखा था। जिससे स्पष्ट है कि प्रथम सूचनाकर्ता ने अभियुक्त को घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। वास्तव में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता की अनुपस्थिति में उसके घर में प्रवेश किया गया था। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचनाकर्ता ने कभी भी अभियुक्त को उसके घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा था। प्रथम सूचनाकर्ता ने उसके कथनों में सुधार करते हुए कथन किए है जिससे इस मामले में परिस्थितिजन्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी गायब है। (पैरा 12) (116-सी-ई)

1.5 इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित मामूली विसंगति घातक नहीं होती है लेकिन वर्तमान मामले में उक्त विसंगति एक छोटी विसंगति नहीं होकर घातक विसंगति है। यदि प्रथम सूचनाकर्ता ने घटना के समय अभियुक्त को घर में प्रवेश करते देखा होता तो वह निश्चित रूप से प्राथमिकी में इस तथ्य का उल्लेख करता। अभियोजन पक्ष अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को सन्देह से परे साबित करने में सफल नहीं हुआ है। अतः, अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है। (पैरा 13 और 14)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 202/2006

सी. आर. ए. सं. 125/1996 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.08.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से पीयूष के. रॉय एवं जी. रामकृष्ण प्रसाद।

प्रत्यर्थी की ओर से तारा चंद्र शर्मा।

न्यायालय का निर्णय मार्कंडेय काटजू, जे. द्वारा पारित किया गया

1. सी. आर. ए. सं. 125/1996 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 22.08.2005 के विरुद्ध यह अपील दायर की गई है।

2. उभय पक्षकारान की ओर से विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

3. अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है कि 22.3.1991 को लगभग 11.30 बजे प्रणब सेनगुप्ता उर्फ पोम की इकलौती बेटी अनिंदिता सेनगुप्ता अपने आवास में अकेली थी। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी मृतका के आवास पर आया और अनिंदिता को घर में अकेली पाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। प्रणब सेनगुप्ता ने अपने बेटे जॉय सेनगुप्ता के माध्यमिक परीक्षा के आधार पर जल्दी अपने घर लौटने के लिए अपने स्कूल से अनुमति ली, जहां वे एक शिक्षक थे, और जब वे जल्दी अपने घर आए, तो उन्होंने देखा कि अनिंदिता एक कमरे के फर्श पर लेटी हुई थी, और स्थिति संदेहास्पद थी। उसने रोते हुए शोर मचाया। इस पर पड़ोसी घटना स्थल पर पहुंचे और इसके तुरंत बाद अनिंदिता को राणाघाट अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया जहां उपस्थित चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

4. सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल द्वारा इस संबंध में की गई जाँच के बाद इस प्रकरण में अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषी ठहराया। अपीलार्थी की अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसलिए अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी।

6. हमारी राय में इस अपील की अनुमति देनी चाहिए।

7. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और यह सुस्थापित नियम है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को उन परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करनी होती है जो अनिवार्य रूप से अभियुक्त को अपराध से जोड़ती हैं। अगर एक भी कड़ी टूट जाती है, तो पूरा अभियोजन मामला विफल हो जाता है।

8. वर्तमान मामले में दिनांक 22.3.1991 को शाम 6 बजे दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचनाकर्ता, जो मृतका का पिता है, ने यह नहीं कहा है कि उसने अभियुक्त को प्रथम सूचनाकर्ता के घर से बाहर जाते देखा था जब वह घर में प्रवेश कर रहा था। वास्तव में प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रथम सूचनाकर्ता प्रणब सेनगुप्ता ने कहा कि अभियुक्त उसकी अनुपस्थिति के दौरान सूचनाकर्ता के घर में घुस गया। इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों के अनुसार, सूचनाकर्ता ने कभी भी आरोपी को अपने घर से बाहर नहीं जाते देखा जब वह उसमें प्रवेश कर रहा था। यह केवल बाद में मुकदमे से पहले उसके साक्ष्य में उपलब्ध है। न्यायालय ने कहा कि सूचनाकर्ता ने कहा कि आरोपी उसके के घर से निकल रहा था जब वह घर में प्रवेश कर रहा था।

9. पीडब्ल्यू 4, सुरथ बिस्वास, जो कि पड़ोसी है, ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसने अभियुक्त को दोपहर 12 बजे प्रणब सेनगुप्ता के घर में प्रवेश करते देखा, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि उसने पुलिस के सामने यह नहीं बताया कि उसने आरोपी को सूचनाकर्ता के घर में प्रवेश करते देखा था। इस प्रकार पीडब्ल्यू 4 के इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसने अभियुक्त को मृतका के पिता, सूचनाकर्ता प्रणब सेनगुप्ता के घर में प्रवेश करते देखा था, क्योंकि उसने धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत दर्ज पुलिस को दिए अपने बयान में यह तथ्य नहीं बताया था।

10. इसी प्रकार, पीडब्लू 7 दिलीप दास ने अपने बयान में कहा कि उसने देखा था कि अभियुक्त सूचनाकर्ता प्रणब सेनगुप्ता के घर की सीढ़ियों से नीचे आया और उसने प्रणब को ‘‘सुजॉय की कोरली" कहते सुना। हालाँकि, बाद में, उसने अपने बयान में कहा कि उसने पुलिस के समक्ष यह नहीं कहा था कि पीडब्लू 4 सुरथ बिस्वास ने उसे बताया कि उसने अभियुक्त को प्रणब के घर में प्रवेश करते हुए देखा था।

11. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने *मनोज उर्फ भाऊ और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य*, (1999, 4 एस. सी. सी. 268) पर भरोसा करते हुए कहा कि उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को सम्पूर्ण कोष होने की आवश्यकता नहीं है। यह सत्या हो सकता है परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है क्योंकि यह घटना की प्रथम सूचना होती है और इसमे तथ्यों को बदलने और सुधारने की सम्भावना कम होती है।

12. हमें यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को केवल गम्भीर सन्देह के आधार पर अपराध में संलिप्त किया गया है। अपीलार्थी के खिलाफ सूचनाकर्ता की ओर से दी गयी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी, जो एक युवक है, सूचनाकर्ता की बेटी से मिलने जाता था जिसपर सूचनाकर्ता एवं पड़ोसियों द्वारा नाराजगी जतायी गयी। वास्तव में, पहले सूचनाकर्ता ने अपीलार्थी को अपनी बेटी से नहीं मिलने के लिए कहा। यह संभव है कि संदेह के आधार पर सूचनाकर्ता ने अपीलार्थी को संलिप्त किया है। हालाँकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए बयान से यह स्पष्ट है कि सूचनाकर्ता ने अभियुक्त को वहाँ से जाते नहीं देखा था। वास्तव में प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी सूचनाकर्ता की अनुपस्थिति में उसके घर में घुस गया था। इस प्रकार, हमें यह प्रतीत होता है कि सूचनाकर्ता ने अपीलार्थी को उसके घर से बाहर जाते हुए कभी नहीं देखा और बाद का कथन एक सुधार है। इस मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी गायब है।

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफ. आई. आर./अभियोजन मामले में मामूली विसंगति घातक नहीं होगी परन्तु वर्तमान मामले में प्राथमिकी में छोटी विसंगति नहीं है बल्कि एक बड़ी विसंगति है। अगर सूचनाकर्ता ने घटना के समय आरोपी को घर में प्रवेश करते देखा होता तो वह निश्चित रूप से प्राथमिकी में इस तथ्य का उल्लेख करता।

14. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभियोजन का मामला सन्देह से परे साबित नहीं है। अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को उचित संदेह से परे साबित करना था। अतः, अपीलार्थी संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। उसी के अनुसार आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

15. निष्कर्षतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी अन्य किसी प्रकरण में बंधित एवं वांछित नहीं हो तो उसको इस मामले में अविलम्ब रिहा कर दिया जावे। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार गिरि (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।